मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
" मंत्रालय "
वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक–17–4/2003/1/34, भोपाल, दिनांक – 26मार्च,2003

प्रति,

1. **कलेक्टर (समस्त) जिला....................**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त),**
   जिला पंचायत..
3. **कार्यपालन यंत्री (समस्त),**
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
   खंण्ड...................................

विषय :– सेक्टर रिफार्म परियोजना, समग्र स्वच्छता अभियांन एवं स्वजल धारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारीयों की भुमिका ।

–––– 000 ––––

सेक्टर रिफार्म परियोजना तथा समग्र स्वच्छता अभियान एवं स्वजल धारा कार्यक्रम के मुल उद्देश ग्रामीन जनता को विकास में सहभागी व उत्तरदायी बनाना है। ग्राम के विकास की धारा का स्वरुप ग्रामवासीयों को ही निर्धारित करना है तथा उनकी इच्छा व आवश्यकता के अनुरुप ही विकास कार्य किया जाना है। इनक कार्यक्रमो के क्रियान्वयन में शासकीय अधिकारीयों की भुमिका फेसीलिएटर की होगी।इन कार्यक्रमो के क्रियान्वयन के लिए कई विभागो के अधिकारीयों का दायित्व है,तथापि शासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग बनाया है। अतः यह आवश्यक है कि विभागीय अधिकारीयों की भुमिका तथा जिम्मेदारी स्पष्ट रुप से परिभाषित की जाए।नीचे दिए गए निर्देशों में संबंधित विभागों के अधिकारी की भुमिका स्पष्ट की जा रही है। ये निर्देश संबंधित विभागों की सहमति एवं मुख्य सचिव के अनुमोदन से जारी कीए जा रहे है।

(1) उपयंत्री :–

i. उपयंत्री अपने क्षेत्राधिकारी के प्रत्येक ग्राम/बसाहट का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के समय वे ग्राम स्वराज के अन्तर्गत गठित ग्राम स्वास्थ्य समिति/सरपंच से सर्म्पक करेंगे तथा उनको इन योजनाओं की रुपरेखा बताते हुए इन योजनाओं के तहत प्रस्तावित किए जाने वाले कार्यो के संबंध में ग्राम सभा की बैठक आहूत कराने की कार्यवाही करेंगें।

ii. ग्राम सभा की बैठक में उपरोक्त योजना की पूर्ण जानकारी देंगे ग्रामवासियों से ठन कार्यो की मॉग की जानकारी प्राप्त करेंगे । अर्थात पेयजल प्रदाय सक संबंधित येाजना, बी.पी.एल. सूची के अनुसार व्यक्तिगत एवं शौचालय, माहिला परिसर एवं शाला–शौचालयों के कार्यो की ग्राम में आवश्यकता के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त करेगें ।

iii. ग्राम सभा की बैठक में इन योजनाओं के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक योगदान की अनिर्वायत की जानकारी देगें तथा उन्हें जन सहयोग के लिए प्रेरित करेगे । अगर ग्राम सभा की बैठक में कोई निर्णय नहीं होता है तो शीद्य पुनः आगामी बैठक आयोजित कराने के कार्यवाही करेगे ।

iv. ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों को समझाइश देगे कि वे बी.पी.एल में आने वाले परिवारो को पारिवारिक शौचालयं बनाने के लिये प्रेरित करे ।

v. यदि ग्राम में शाला है तो उसके शौचालय निर्माण के लिये ग्राम वासियों को प्रेरित करेगें तथा इस बाबत आवश्यक जन–सहयोग राशि देने के लिये प्रेरित करेगे । इस के लिये शिक्षक पालक समिति का सहयोग भी लेगे । यदि संबधित ग्राम एक बडा ग्राम है तो उस ग्राम में महिला स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए भी ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों को प्रेरित करेगें ।

vi. निर्मित शौचालय माहिला परिसर अथवा मल जल योजना के संसारण का महत्व भी ग्राम वासियों को बतायेगे ।

vii. ग्राम स्वास्थ्य समिति / ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कंलन उपयंत्री तैयार करेगे तथा संक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करेगे तथा ग्राम वासियों के तैयार किये गए प्राक्कलन की जानकारी देते हुए जनसहयोग की राशि कं जानकारी देगें तथा उसे शीघ्र एकत्रित कराने के लिए ग्राम सभा के पदाधिकारियों के प्रेरित करेगे । इस कार्य में सबंधित सरपंच, पंचायत कर्मी उन्हे सहयोग देगे अन्य विभागो के स्थानीय कर्मियों जैंसे आंगन वाडी कार्यकर्ता, ए.एन.एम कृषक बंधु आदि का भी सहयोग प्राप्त करेगे ।

(2) सहायक यंत्रीः—

i. अधीनस्थ उपयंत्रियों के उपरोक्त कायों का पर्यवेक्षण करेगे । वे सुनिश्चित करेगे की जिस ग्राम में जैसी आवश्यकता है, वैसी योजनाएं बनाई जा रही है ।

ii. वे सतत भ्रमण करेगे तथा कहीं कोई समस्या हो तो उनक निदान करेगे ।

iii. जिन कार्यक्रमों में पेयजल योजना 5लाख से अधिक की तैयार की जानी है, उसका प्राक्कलन तैयार करने के लिए र्मांग दर्शन देगे । अपनी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले एन.सी. एवं पी.सी. विलेज का अनिवार्य रूप से भ्रमण कर उन ग्राम में पेयजल पदार्थ की योजनाएॅ तैयार कराने के लिए ग्राम स्वास्थ्य समिति एवं सभा को सम्पर्क कर प्रेरित करेगें ।

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत :—

1. वे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराए जा रहे बी.पी.एल. सर्वे के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि इस सूची के तहत आने वाले परिवारों के व्यक्तिगत शौचालय की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता की जानकारी संकलित की गई अथवा नही । वे यह सुची कार्यपालन यंत्री को उपलब्ध कराएगें ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकासखंण्ड के प्रेत्यक ग्राम मे योजनाओं में इन येाजनाओं के तहत बनाए जा रहे ऐक्शन प्लान को बनवाने के लिए सम्पुर्ण सहयोग प्रदान करेगे तथा ऐसे बनाए गए ऐक्शन व्लान के कियान्वयन में भी सहयोग देगें ।
3. वह सुनिश्चित करेगें कि उनके विकासखण्ड के अन्तगर्त कोई भी ग्राम बसाहट उपरोक्त योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रह जाए ।
4. उपरोक्त योजनाओं के तहत अगर किसी ग्राम से कोई मॉग नहीं आ रही है तेा उसका भ्रमण करेगे एवं ग्राम स्वास्थ्स समिति के पदाधिकारियों तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर ग्राम में आवश्यकतानुसार योजना बनाएगें ।
5. विकासखणड स्तर पर होने वाली बैठकों में शामिल होकर इन योजनाओं के किया न्वयन के लिए समन्वयक अधिकारी के रूप में कार्य करेगें ।
6. स्वीकृति के लिए प्राप्त योजनाओ की स्वीकृति, योजना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर जारी करेगें ।

(4) कार्यपालन यंत्रीः—

1. कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित करेगे ंकि प्रत्येक जिले में उपरोक्तानुसार आगामी एक माह में ऐक्शन प्लान बनाया जा चुका है ।
2. बनाए गए ऐक्शन प्लान का कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे ।
3. चल रहे विकास कार्यो का पर्यवेक्षण करेगें ।
4. उपरोक्त योजनाओं के कियान्वयन के लिए लागू नियम तथा समय—समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगें ।
5. यह सुनिश्चित करेगें कि उनके जिले के अन्तर्गत कोई भी ग्राम / बसाहट उपरोक्त योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रह जाए ।

6. उपरोक्त योजनाओं के तहत अगर किसी ग्राम से कोई मॉग नहीं आ रही है तो उसका भ्रमण करेगें एवं ग्राम स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों से सम्पर्क कर ग्राम की आवश्यकतानुसार योजना बनवाएंगे ।
7. कार्यपालन यंत्री एन.सी. व पी.सी. बसाहटों मे जलप्रदाय योजनाओं की मॉग के लिए अनिवार्यतः भ्रमण करेगें ।
8. विकासखण्ड स्तर पर होने वाली बैठको में शामिल होकर अधीनस्थ अधिकारियों का मार्गदशन करेगें ।
9. चल रहे निर्माण कार्यो का रैण्डम निरिक्षण भी करेगे ।
10. पूर्ण किए हुए कार्यो का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रेषित करना सुनिश्चित कराएँगे ।
11. इन तीनों योजनाओं के लिए जिला पंचायत के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेगे
12. स्वजल धारा योजना के तहत बताए गए प्रस्तावों की तकनीकी रूप से सक्षम एवं आर्थिक दृष्टि से मितव्ययी (टेक्लो इकानामिक फीजीबीलीटी) का प्रमाण पत्र देगें ।

(5) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत :—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिले की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर यह सुनिच्छित करेंगें कि यह प्रोजक्ट रिपोर्ट इन योंजनाओं के तहत जारी निर्देशों एवं जिले की मांग के अनुरुप तैयार हुई हो तो अगर ऐसा नहीं पाया जाता अथवा इसमे कोई कमी हो तो उसके संशोधन की कार्यवाही करेंगे।इस बाबत् आवश्यकता नुसार बेस लाईन सर्वे तथा स्कोपिंग की कार्यवाही कराएंगे ।

2. वे ग्रामिन विकास विभाग द्वारा कराए जा रहे बी.पी.एल.सर्वे के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि इस सुची कें तहत आने वाले परिवारो के व्यक्तीगत शौचालय की उपलब्धता एवं अनुपलब्ध करायंगे ।
3. राज्य सरकार/भारत सरकार को सरामयिक जानकारी प्रषित करना सुनिच्छित करेंगे
4. एन.सी.एवं पी.सी.ग्रामों के प्रस्ताव डी.पी.आर.में शामिल हो गए है अथवा नही सुनिच्छित करेंगे।
5. प्रशसनिक व्यय हेतु न्युनतम आवश्यकतानुसार जो प्राधिकारी प्राकलन आदि बनाएगे उन्हे राशि उपलब्ध कराएंगे।

(6) जिला कलेक्टर :—

1. उपरोक्त योजनाओं के कियांन्वेयन के लिए जिला स्तर पर नेतृत्व प्रदान करेंगे विभीन्न विभागों एवं संस्थाओं के मध्य समन्वयक का कार्य करेंगे।
2. इन योजनाओं के कियान्वयन के लिए यदि अन्य विभाग के सहयोग आवश्यकता हो तो उस बाबात आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यदि शासन स्तर से कि सी निर्देश की आवश्यकता हो तो उसका प्रस्ताव प्रषित करेंगे।
3. अगर जिले में इन योजनाओं के कियान्वयन हेतु एन.जी.ओज.से भी कार्य कराया जा रहा है ,तो उन्हे आवश्यक सहयोग,हर स्तर से,प्राप्त हो, यह व्यवस्था कलेक्टर सुनिश्चित करेगें ! ग्रामों के लिए स्वच्छता , पेयजल के साथ—साथ समग्र विकास की योजना बनें , इस हेतु एन.जी.ओज. को शासकीय कार्यकमों, विशेष रूप से ग्रामीण वकास विभाग के अन्य कार्यकमों की जानकारी भी दी जाएगी
4 इन योजनाओं में कार्य कर रहें अधिकारीयों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों अधिकारीयों व्दारा उपलब्धि अथवा कमी के संबंध में टीप अंकित कर सकेगें !
5. इन योजनाओं के कियान्वयन में यदि कोई तकनीकी समस्या महसूस करते हैं अथवा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वरिष्ट स्तर के किसी निर्देश की अपेक्षा करते है वे मुख्य अभियंता परिक्षेत्र को इससे संबंधित बैठक में आमंत्रित कर सकेंगे।

(7) मुख्य अभियंता:—

1. मुख्य अभियंता यह सुनिच्छित करेंगे कि प्रत्येक जिले का एक्शन प्लान तैयार हो गया हो।

2. निर्देश जारी होने के 02 माह में कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यत्रियों के साथ बैटक कर एक्श्न प्लान के कियान्वयन के संबंध में मार्गदशन प्रदान करेंगे।
3. यह सुनिच्छित करेंगे कि जिले के समस्त एन.सी.एवं पी.सी. ग्रामों में पेयजल योजनाओ के प्रस्ताव तैयार हो गए है ।
4. चल रहे कार्यो का रैण्डम निरीक्षण करेंगे।
5. इन योजनाओं की भौतिक एवं वित्तिय प्रगति की समिक्षा करेंगे तथा इस संबंध में दिशा–निर्देशो का पालन सुनिच्छित करायेंगे ।
6. पूर्ण हो चुके कार्यो का युटिलाईजेशन सर्टिफिकेट प्रेषित किये जा रहे है अथवा नही इस बाब्त कार्यवाही करेंगे।
7. अपने अधीनस्थ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारीयों की वार्षिक चरित्रावली में योजना संबंधी उपलब्ध/अनुपलब्धि पर टीका करेंगे। वर्ष 2003–04 के लिए इस संबंध में लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

(8) पायोजना संचालक, सेक्टर रिफार्मः–

1. योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का पर्यवेक्षण करेगें । अभी तक की प्रगति की गति में सुधार कराएंगे । योजना परिक्षेत्र में विस्तृत भ्रमण करेगें ।
2. एन.सी. एवं पी.सी. ग्रामों का अधिनियम भ्रमण करेगें ।
3. इन योजनाओं के कियान्वयन के संबंध में जिला स्तरीय बैठकों में भाग
4. राज्य एवं केन्द्र से प्राप्त होने वाले आंवटन को जारी कराए जाने की कार्यवाही करेगें ।

(9) प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीः–

1. उपरोक्त योजनाओं के कियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण करेगें ।
2. राज्य एवं केन्द्र से संबंधित आवंटन समय–समय पर रीलिज हो रहा है अथवा नहीं, इसको सुनिश्चित करेगें ।
3. पूर्ण हुए कार्यो के यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट का प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करेगें ।

(10) सलाहकार प्रौधोगिक मिशनः–

पूर्व में जारी निर्देशों के तहत सेक्टर रिफार्म सेल का कार्य कियान्वित करेगें योजनाओं के पर्याप्त संख्या में बनाया जाना, कियान्वित होना आदि पर सतत निगाह रखेंगे भ्रमण करेगें तथा कहीं कोई कमी परिलक्षित होती है तो प्रमुख सचिव की नोटिस में लाएंगे ।

(माला श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क0–17–4/2003/1/चौतीस, भोपाल, दिनांक–26 मार्च , 2003
प्रतिलिपिः–

1. प्रमूख सचिव मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग निवेदन है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के लिए अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत विभाग निवेदन है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के लिए अधीनस्थ विभागीय अधिकारियो को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

3. आयुक्त राजस्व सम्भाग(समस्त) कृपया उपरोक्त योजनाओं की प्रगति के संबंध में सम्भाग स्तरीय मासिक बैठक में अनुश्रवण करने का कष्ट करें ।

4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित कराएं तथा योजनाओं की प्रगति के संबंध में नियमित पर्यवेक्षण करें ।

5. प्रमुख अभियंता एवं सलाहकार, प्रौद्योगिकी मिशन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित कराएं तथा योजनाओं की प्रगति के संबंध में नियमित पर्यवेक्षण करें ।

6. परियोजना संचालक सेक्टर रिर्फाम भोपाल की और सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

7. मुख्य अभियंता (समस्त) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र................................ योजना परिक्षेत्र में भ्रमण करें। योजना का अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन में कोई कमी महसूस करते है तो उसका दूर करने की कार्यवाही करें और यदि स संबंध में शासन स्तर से किसी आदेश की उपेक्षा है तो प्रकरण सन्दर्भित करें ।

8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त) जनपद पंचायत......................... की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

9. सहायक यंत्री (समस्त) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड............................ जिला .... की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

10. उपयंत्री (समस्त), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड.................................... जिला .... की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ।
मध्यप्रदेश शासन